भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt.of India Undertaking-Ministry of Textiles)

CCI (सरकार का उपक्रम – वस्त्र मंत्रालय) रूड़ा बिल्डिंग, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड, राजकोट-360001

Ruda Building 5th Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001

Telephone No 2441629. Fax No. 0281-2458621

निगमित पहचान संख्या – U51490MH1970GUI14733 जी.एस.टी.न.24AAACT4053B1ZY

E-mail: rajkot@cotcorp.com Web site: http://www.cotcorp.org.in, www.ministryoftextiles.gov.in

क्रमांक:भाकनि/राजकोट/विपणन(विक्रय)/2018-19/ **दिनांक : 28.01.2019**

रजिस्टर्ड ए.डी

मेसर्स _____

_____

_____

विषय : दिनांक 04/02/2019 से 31/03/2019 तक मान्य रूई की गॉठों की परिवहन निविदा बाबत।

महोदय,

हम इस पत्र के साथ हमारे विभिन्न खरीद केन्द्रों/गोदामों से गॉठे परिवहन हेतु निविदा फार्म, नियम व शर्तों संबंधी जानकारी संलग्न कर रहे हैं। उपरोक्त निविदा दिनांक 04.02.2019 को दोपहर 2.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में जिस पर '**रूई की गॉठों के परिवहन कार्य हेतु निविदा**' लिखा हो, प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। कृपया निविदा लिफाफे पर अपना पूर्ण पता व दूरभाष नंबर भी अवश्य लिखें। निविदा उसी दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। इस निविदा की दरें 31.03.2019 तक लागू रहेगी। परिवहनकर्ता यह सुनिश्चित करें कि मेन लिफाफे के अंदर तकनीकी बिड-I एवं वित्तीय बिड- II अलग से रखी है।

निविदा संबंधी नियम व शर्तों की पूर्ण जानकारी हमारी वेबसाईट www.cotcorp.org.in एवं गव्हर्नमेंट वेबसाईट www.tenders.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड,

संलग्न – यथोपरि

(अर्जुन एस.दवे)
शाखा प्रबंधक

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य महा प्रबंधक (विपणन), भाकनि, नवी मुंबई : कृपया सूचनार्थ।
2. उप महा प्रबंधक (विप), भाकनि, नवी मुंबई : कृपया सूचनार्थ।
3. महा प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/शाखा प्रबंधक, भाकनि, सभी : सूचनार्थ प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया आपकी शाखा के अन्तर्गत आने वाली सभी बैंक गारंटी वाले परिवहनकर्ताओं को इसकी जानकारी दे :
4. उप प्रबन्धक (सतर्कता)
5. हिन्दी अनुभागा

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt.of India Undertaking-Ministry of Textiles)

CCI (सरकार का उपक्रम – वस्त्र मंत्रालय) रूड़ा बिल्डिंग, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड, राजकोट-360001

Ruda Building 5th Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001

Telephone No 2441629. Fax No. 0281-2458621

निगमित पहचान संख्या – U51490MH1970GUI14733 जी.एस.टी.न.24AAACT4053B1ZY

E-mail: rajkot@cotcorp.com Web site: http://www.cotcorp.org.in, www.ministryoftextiles.gov.in

परिवहन निविदा सूचना (Transportation Tender Notice)

निगम शाखा कार्यालय, राजकोट अपने अधीनस्थ केन्द्रों/गोदामों से निर्यात हेतु कालंबोली (नवी मुंबई), पेट्रोपोल (वेस्ट बंगाल) ,हल्दिया (वेस्ट बंगाल) ,कोलकत्ता,कंडला पोर्ट, मुन्द्रा पोर्ट, एवं पिपावाव पोर्ट, CENTRAL SLIVER PLANTS (CSP-KVIC) के विभिन्न UNITS तक तथा आंतरिक विक्रय हेतु एन.टी.सी. की विभिन्न मिलों तक रूई गांठों के परिवहन हेतु टेण्डर आमंत्रित करता है। टेण्डर फार्म, नियम व शर्तो का प्रोफार्मा निगम के शाखा कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक ट्रांसपोर्टर जिनकी 20.00 लाख रूपये की बैंक गारंटी निगम के किसी भी शाखा कार्यालय या मुख्यालय में जमा है या जमा करवाना चाहते हैं, वे निर्धारित फार्म में निविदा दिनांक 04.02.2019 को दोपहर 2.00 बजे तक या उससे पूर्व बंद लिफाफे में शाखा कार्यालय,राजकोट के उपरोक्त पत्ते पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस टेण्डर की दरें दिनांक 04.02.2019 से 31.03.2019 तक लागू रहेंगी। निविदा उसी दिन 04.02.2019 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित परिवहनकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी व निगम किसी भी निविदा को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

निविदा संबंधी निविदा फार्म, नियम एवं शर्तो की पूर्ण जानकारी हमारी वेबसाईट www.cotcorp.org.in या www.eprocure .gov.in पर उपलब्ध है।

शाखा प्रबंधक

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt.of India Undertaking-Ministry of Textiles)

CCI (सरकार का उपक्रम – वस्त्र मंत्रालय) रूड़ा बिल्डिंग, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड, राजकोट-360001

Ruda Building 5th Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001

Telephone No 2441629. Fax No. 0281-2458621

निगमित पहचान संख्या – U51490MH1970GUI14733 जी.एस.टी.न.24AAACT4053B1ZY

E-mail: rajkot@cotcorp.com Web site: http://www.cotcorp.org.in, www.ministryoftextiles.gov.in

रूई गांठों के परिवहन कार्य का निविदा फार्म

तकनीकी बिड (Technical Bid)

Bid-I

टेन्डर फार्म नंबर	
निविदा कार्य की अवधि	04.02.2019 से 31.03.2019
निविदा जारी करने की दिनांक	28.01.2019
निविदा फार्म प्राप्त की अंतिम दिनांक व समय	04.02.2019 दोपहर 12.30 बजे तक
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	04.02.2019 दोपहर 02.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक व समय	04.02.2019 दोपहर 3.00 बजे

रुई की गाँठो के परिवहन कार्य का फॉर्म वर्ष 2018-19 अवधि 04.02.2019 से 31.03.2019

01	ट्रांसपोर्टर का नाम	
02	ट्रांसपोर्टर का पंजीकृत पता	
03	राजकोट का प्रतिनिधि का नाम एवं पता	
04	बैंक का नाम व गैरंटी की संख्या. / दिनांक (फोटोप्रति संलग्न करें)	
05	बैंक गैरंटी की वैद्यता दिनांक	
06	बैंक गैरंटी राशि	
07	PAN नंबर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
08	GST नंबर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
09	यदि परिवहनकर्ता के पास 10 से अधिक लोरी है तो सूचित करें। यदि नहीं है तो इस निविदा के साथ संलग्न प्रोफार्मा में अपना डेकलेरेशन दें।	
10	दूरभाष/फैक्स/मोबाईल/ई-मेल	

स्टैम्प के साथ हस्ताक्षरमय मोहर

दिनांक : _____

स्थान : _____

भारतीय कपास निगम लिमिटेड – राजकोट

टेण्डर फॉर्म

दिनांक 04.02.2019 से 31.03.2019

ट्रांसपोर्टर का नाम : .....

.....

राजकोट का पता : .....

.....

दूरभाषमेल-ई/मोबाईल/फैक्स/ .....

क्रम स.	जिल्ला का नाम/Name Of District	केन्द्र एवं गोदाम का नाम
1	अमरेली	अमरेली,बाबरा,राजुला,सावरकुंडला,पिपावाव पोर्ट
2	भावनगर	महुवा ,तलाजा ,पालिताना ,गारियाधार
3	बोटाद	बोटाद,राणपुर ,ढसा,गढ़डा,
4	गीर-सोमनाथ	कोडिनार,उना
5	राजकोट	राजकोट,गोंडल,जामकंडोरना,जैतपुर ,धोराजी,जसदन,रायडी, कोटड़ा-सांगानी,कुवाडवा
6	सुरेन्द्रनगर	चूड़ा,लिंबड़ी,जीएसडबल्यूसी-वढवाण- वढवाण (वडोद),चोटिला,ध्रागध्रा,थानगढ़(थान)
7	जूनागढ़	मानावदर,
8	मोरबी	मोरबी,टंकारा,हलवद,वांकानेर
9	जामनगर	,जामनगर,कालावाड़,जामजोधपुर,ध्रोल
10	कच्छ	अंजार,भुज,मांडवी,कंडला,मुँदरा पोर्ट

ट्रांसपोर्टर का नाम ,हस्ताक्षर एवं सील

स्थान :.....

दिनांक :.....

भारतीय कपास निगम लिमिटेड –राजकोट

टेण्डर फॉर्म

दिनांक 04.02.2019 से 31.03.2019

Destination of NTC Western Region (MN,SM),NTC(Gujarat) Mills & West Bengal Region

ट्रांसपोर्टर का नाम :.....

.....

राजकोट का पता :.....

.....

दूरभाष मेल-ई/मोबाईल/फैक्स/ .....

क्रम स.	गंतव्य स्थान	दर प्रति गांठ लोडिंग/अनलोडिंग के साथ TO PAY				
		राजकोट जिल्ला के सभी केन्द्र से	जामनगर जिल्ला के सभी केन्द्र से	जूनागढ़ जिल्ला के सभी केन्द्र से	अमरेली जिल्ला के सभी केन्द्र से	भावनगर जिल्ला के सभी केन्द्र से
1	अकोला					
2	औरंगावाद					
3	हिंगनघाट					
4	कोल्हापुर					
5	बार्शी					
6	मुंबई					
7	चालिशगाँव					
8	धुले					
9	नांदेड़					
10	कोयंबतूर					
11	पोंडीचेरी					
12	मदुराई					
13	तिरुपुर					
14	अहमदाबाद					
15	कोलम(केरल)					
16	कलईयारकोली					
17	परमाकुंडी					
18	राजापलायम					
19	त्रिसूर					
20	पुलाची(केरल)					
21	भोपाल(MP)					
22	बुरहानपुर (MP)					
23	कोलकत्ता					

मैनें निगम की संलग्न नियम एवं शर्तें पढ ली है और वो मुझे मंजूर हैं।

स्थान :.....

दिनांक :.....

ट्रांसपोर्टर का नाम ,हस्ताक्षर एवं सील

भारतीय कपास निगम लिमिटेड –राजकोट

टेण्डर फॉर्म

दिनांक 04.02.2019 से 31.03.2019

Destination of NTC Western Region (MN,SM),NTC(Gujarat) Mills& West Bengal Region

ट्रांसपोर्टर का नाम :.....

.....

राजकोट का पता :.....

.....

दूरभाष मेल-ई/मोबाईल/फैक्स/ .....

क्रम स.	गंतव्य स्थान	दर प्रति गांठ लोडिंग/अनलोडिंग के साथ TO PAY				
		सुरेन्द्रनगर जिल्ला के सभी केन्द्र से	कच्छ जिल्ला के सभी केन्द्र से	मोरबी जिल्ला के सभी केन्द्र से	बोटाद जिल्ला के सभी केन्द्र से	गीर-सोमनाथ जिल्ला के सभी केन्द्र से
1	अकोला					
2	औरंगावाद					
3	हिंगनघाट					
4	कोल्हापुर					
5	बार्शी					
6	मुंबई					
7	चालिशगाँव					
8	धुले					
9	नांदेड़					
10	कोयंबतूर					
11	पोंडीचेरी					
12	मदराई					
13	तिरुपुर					
14	अहमदाबाद					
15	कोलम(केरल)					
16	कलईयारकोली					
17	परमाकुंडी					
18	राजापलायम					
19	त्रिसूर					
20	पुलाची(केरल)					
21	भोपाल(MP)					
22	बुरहानपुर (MP)					
23	कोलकता					

मैनें निगम की संलग्न नियम एवं शर्तें पढ ली है और वो मुझे मंजूर हैं।

स्थान :.....

दिनांक :.....

ट्रांसपोर्टर का नाम ,हस्ताक्षर एवं सील

भारतीय कपास निगम लिमिटेड –राजकोट

टेण्डर फॉर्म

दिनांक 04.02.2019 से 31.03.2019

ट्रांसपोर्टर का नाम :.....

.....

राजकोट का पता :.....

.....

दूरभाष मेल-ई/मोबाईल/फैक्स/ .....

क्रम स.	जिल्ला भंडारण स्थल /District Storage Place	Destination for Export / निर्यात के लिए गंतव्य स्थान						
		(To be billed / दर प्रति गांठ रुपये (लोडिंग/अनलोडिंग के साथ)						
		पेट्रोपोल (WB)	हल्दिया (WB)	कलंबोली (नवी मुंबई)	कोलकत्ता	कंडला	मुँदरा	पिपावाव पोर्ट (राजूला)
1	अमरेली							
2	भावनगर							
3	बोटाद							
4	गीर-सोमनाथ							
5	राजकोट							
6	सुरेन्द्रनगर							
7	जूनागढ़							
8	मोरबी							
9	जामनगर							
10	कच्छ							

(1) मैनें निगम की संलग्न नियम एवं शर्तें पढ ली है।

(2) परिवहन दरों में लोडिंग / अनलोडिंग शामिल है।

(3) GST मिल द्वारा देय रहेगा जो कि ,उपरोक्त दरों में शामिल नहीं है।

(4) यह दरें दिनांक **04.02.2019 से 31.03.2019** तक लागू है

दिनांक :- _____

स्थान :- राजकोट **ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं हस्ताक्षर एवं सील**

भारतीय कपास निगम लिमिटेड,
शाखा कार्यालय, राजकोट.

DESTINATION : Central Sliver Plants (KVIC) (To pay)
KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION, GOVT. OF INDIA UNDERTAKING (KVIC), (MSME)(CENTRAL SLIVER PLANTS UNITS)

Sr.No.	जिल्ला भंडारण स्थल /District Storage Place (District-wise)	Transportation rate including loading and unloading per bale in Rs. (EXCLUDING GST)					
				Central Sliver Plants (KVIC)			
		ETAH (U.P.)	HAJIPUR (BIHAR)	SEHORE (M.P.)	RAI BARELY (UP)	CHITRADURGA (KARNATAKA)	THIRUCHUR (KERALA)
1	अमरेली						
2	भावनगर						
3	बोटाद						
4	गीर-सोमनाथ						
5	राजकोट						
6	सुरेन्द्रनगर						
7	जूनागढ़						
8	मोरबी						
9	जामनगर						
10	कच्छ						

मैनें निगम की संलग्न नियम एवं शर्तें पढ ली है और वो मुझे मंजूर हैं।

दिनांक :- _____

स्थान :- राजकोट

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं हस्ताक्षर

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt.of India Undertaking-Ministry of Textiles)

CCI (सरकार का उपक्रम – वस्त्र मंत्रालय) रूड़ा बिल्डिंग, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड, राजकोट-360001

Ruda Building 5th Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001

Telephone No 2441629. Fax No. 0281-2458621

निगमित पहचान संख्या – U51490MH1970GUI14733 जी.एस.टी.न.24AAACT4053B1ZY

E-mail: rajkot@cotcorp.com Web site: http://www.cotcorp.org.in, www.ministryoftextiles.gov.in

(Terms and Conditions) रूई की गॉठे प्रेषित करने एवं निविदा भरने के लिये शर्ते

परिवाहक प्रतिष्ठित होना चाहिए और कपास गांठों का हैंडलिंग/कपास गांठों के लिए पैकिंग सामग्री का अनुभव होना चाहिए। परिवाहक का नेटवर्क एक से अधिक राज्यों में भी होना चाहिए। निविदा के साथ रूपये 20 लाख के बैंक गारंटी की कोपी संलग्न करनी होगी। केवल उन्हीं परिवहनकर्ता को निविदा में भाग लेने की अनुमति होगी जिनकी बैंक गारंटी निविदा में प्राप्त दरों को अंतिम रूप देते समय वैद्य पायी जायेगी। यदि किसी परिवहनकर्ता की बैंक गारंटी की अवधि बीच में समाप्त होती है तो अवधि समाप्ति की तारीख से पहले उसका नवीनीकरण करवाकर निगम के पास पुन: जमा करवानी होगी अन्यथा उन्हें आबंटित किया गया कार्य निरस्त किया जा सकता हैं। दरें गांठों की लदाई तथा उतराई (Loading Unloading) सहित होगी। Loading Unloading खर्च का भुगतान परिवाहक द्वारा केन्द्रों/गोदामों पर लागू दरों के अनुसार करना होगा। **बैंक गारंटी टेन्डर खोलने की तिथि से मान्य तथा लागू समय तक वैद्य होना अनिवार्य है।**

(1) सभी गॉठे परिवहनकर्ता को सड़क परिवहन द्वारा ही भेजनी पड़ेगी। यह किसी भी कारणवश सड़क के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजी जा सकती। इसके लिये परिवहनकर्ता को अपनी न्यूनतम दर प्रति गॉठ देनी पड़ेगी। परिवहनकर्ता द्वारा दी गई प्रति गॉठ में लोडिंग/अनलोडिंग व अन्य उचित खर्चे (इन्सीडेंटिल खर्चे) शामिल होंगे। परिवहनकर्ता द्वारा निविदा में एक बार भरी गई दर फाईनल मानी जायेगी और निगम इस निविदा की अवधि के दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा रेट बढ़ाये जाने पर, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, टायर व अन्य कलपुर्जो के रेट बढ़ाने या कोई टैक्स बढ़ाये जाने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। उस हालत में भी परिवहनकर्ता उन्हीं दरों पर काम करने के लिये बाध्य होगा। अत: निविदा में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरान किसी भी कारणवश तब्दील नहीं की जा सकती।

(2) गॉठें द्वार प्राप्ति (Door Delivery) के आधार पर बुक की जायेगी। दिये गये केन्द्रों से गॉठे उठाकर गंतव्य स्थान का पता जो भी हो, पहुँचानी होगी। यदि गंतव्य स्थान पर पहुँच कर गॉठों की डिलीवरी देने का स्थान बदल दिया जाता है तो ऐसी हालत में 50 KM तक के पथान्तर (Diversion) के लिये ट्रांसपोर्टर को कोई पथान्तर शुक्ल (Diversion Charge) नहीं दिया जायेगा।

(3) गॉठे गंतव्य स्थान पर ट्रकों के पहुँचने की प्राथमिकता के आधार पर उतरवाई जायेगी। जो ट्रक पहले पहुँचेगा उसको पहले उतारा जायेगा। ऐसी हालत में अगर ट्रक लाईन लम्बी हो जाती है तो ट्रांसपोर्टर को कोई रिटेंशन चार्ज नही दिया जायेगा।

(4) D.O. जारी होने के पश्चात ट्रांसपोर्टर को तुरन्त गॉठे भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी तथा गॉठों के डिस्पैच के तुरन्त पश्चात ट्रांसपोर्टर को G.R. No. व गॉठों का विवरण तुरन्त अगले दिन शाखा कार्यालय, राजकोट को सूचित करना होगा।

(5) गॉठों के लदान व परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर गॉठों की पूरी निगरानी रखेगा व संभालेगा। परिवहन के दौरान गॉठे तिरपालों से ढँकी होनी चाहिये। किसी कारणवश परिवहन के दौरान गॉठों को होने वाली हानि के लिये ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।

(6) ट्रकों की हालत अच्छी होनी चाहिये। अगर ट्रकों में पहले लादा कोयला या अन्य रसायन पदार्थ लगा हो तो ट्रकों की पूरी तरह सफाई करवाकर ही गॉठे लोड की जाये।

(7) प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को प्रति सप्ताह एक तालिका (Statement) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें लॉट नंबर, गॉठों की संख्या, लॉरी रसीद नंबर और डिस्पैच की तिथि, स्टेशन जिसको भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिये।

(8) दरें आदेश दिनांक **04.02.2019** से **31.03.2019 तक** के लिये मान्य होगी।

(9) सीलबन्द निविदा एक बन्द लिफाफे में भेजनी होगी। लिफाफों पर स्पष्ट तौर पर परिवहनकर्ता का नाम व यह लिखा होना अनिवार्य है कि **"कपास की गाँठें परिवहन हेतु निविदा"**। फैक्स या ई.मेल से प्रेषित टेण्डर स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।

(10) टेण्डर शाखा कार्यालय, राजकोट में दिनांक 04.02.2019 को दोपहर 2.00 बजे तक पहुँचाने अनिवार्य होंगे। इस समय उपरान्त प्राप्त किये गये टेण्डर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। टेण्डर उसी दिन सभी परिवहनकर्ताओं के सामने दोपहर 3.00 बजे खोले जायेंगे।

(11) यदि दो या दो से अधिक ट्रांसपोर्टर एक ही प्रकार की न्यूनतम दरें भरते हैं तो यह टेण्डर कमेटी के पूर्ण अधिकार में होगा कि किस ट्रांसपोर्टर को कार्य दे अथवा रिटेण्डर या सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर में प्रतिस्पर्धा करायें।

(12) कोई भी टेण्डर या सभी टेण्डर या उसके कोई भाग को रद्द करने का अधिकार निगम सुरक्षित रखता है। हालांकि सम्बन्धित पार्टी टेण्डर रद्दीकरण का कारण निगम से प्राप्त कर सकती है।

(13) टेण्डर फार्म में दर्शाई गई सभी शर्तो के फलस्वरूप यदि कोई (Dispute) शक या शंका उत्पन्न होती है तो यह निगम की राजकोट शाखा के समक्ष अधिकार क्षेत्र में होगा कि उसका क्या निर्णय लिया जाये। ऐसी हालत में उस सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व बाध्य होगा। किसी प्रकार के कानूनी झगड़े के लिये अधिकार क्षेत्र का न्यायालय राजकोट होगा।

(14) टेण्डर भरने वाले ट्रांसपोर्टर द्वारा निविदा की शर्ते ध्यान में रख लेनी चाहिये। एक बार टेण्डर भरने के बाद यह माना जायेगा कि टांसपोर्टर ने इस फार्म में दी गई शर्ते ध्यान से पढ़ ली व इन शर्तो को मानते है व इन शर्तो के अन्तर्गत कार्य के लिए तैयार व बाध्य हैं।

(15) गॉठे लक्षित स्थान पर अच्छी हालत में और उसी G.R. के आधार पर सुपुर्द की जानी चाहिये। यातायात के दौरान किसी भी गॉठ में लॉटस की मिलावट नहीं होनी चाहिये। गॉठे सामान्य तौर पर लदान होने के पश्चात सीधे ही गंतव्य स्थान पर पहुँचनी अनिवार्य होगी। गॉठों को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु के आधार पर बीच में किसी ट्रांसशिपमेंट के बगैर प्रेषण करना होगा। यदि किसी कारणवश सम्भव न हो तो एक से ज्यादा ट्रांसशिपमेन्ट की अनुमति नही होगी।

(16) गांठें लोडिंग के पश्चात **5** दिन के अंदर गंतव्य स्थान पर पहुँचनी चाहिए (रविवार एवं छुट्टियों का दिन छोड़कर)। गॉठें निर्धारित अवधि के अंदर गंतव्य स्थान पर नही पहुँचती है तो 10/- रूपये प्रति गॉठ प्रतिदिन के हिसाब से देरी की पेनल्टी परिवहनकर्ता के बिल से/अन्य देयकों से कटौती की जायेगी।

(17) गॉठे **टू पे** के आधार पर भेजी जा सकती है। चैक पोस्ट (नाका पोस्ट) पर चुंगी की अदायगी ट्रांसपोर्टरों को नियमानुसार करनी होगी और चुंगी की रसीद प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान कर दिया जायेगा। निर्यात हेतु भेजी जाने वाली गॉठों पर चुंगी नही लगेगी। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रोफार्मे सामान्य तौर पर उपलब्ध करा दिये जाते है पर यह जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की ही होगी कि आवश्यक फार्म खुद भरे तथा साथ में ले जाये।

(18) टेण्डर केवल निगम की शर्तो पर ही मान्य होंगे। इसके लिये ट्रांसपोर्टर की कोई शर्त मान्य नही होगी।

(19) यदि कोई दुर्घटना या अन्य घटना हो जाती है तो प्रिलिमरी सर्वे कराये बिना वही से ट्रक तथा साल्वेज को नही हटाया जाना है। क्षति सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं कार्यवाही ट्रांसपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय, राजकोट को भी तुरन्त देनी होगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की ही होगी। यदि रास्ते में कोई दुर्घटना/अग्नि दुर्घटना एवं अन्य घटना हो जाती है तो Preliminary Survey कराये बिना वहॉ से ट्रक तथा साल्वेज को तब तक न हटाया जाए जब तक सर्वेयर द्वारा सर्वे का काम पूरा नही कर लिया जाता है। ट्रांसपोर्टर का यह भी दायित्व होगा कि आवश्यकता पड़ने पर वे प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) Fire Brigade Report/Non Delivery Certificate पंचनामा आदि की कापी प्रस्तुत करेंगे। ट्रांसपोर्टर द्वारा FIR में अग्नि दुर्घटना में शामिल गॉठों की विवरणी तथा संख्या की रिपोर्ट निश्चित रूप से दर्ज करानी होगी। क्षति संबंधी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं कार्यवाही ट्रांसपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय, राजकोट को भी तुरन्त देनी होगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होगी।

(20) ट्रासंपोर्टर द्वारा पूरे लॉट की मूल बिल्टी/जी.आर प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा। (जी.आर.की दो प्रति मान्य नहीं होगी)

(21) बैंक गारंटेड परिवहनकर्ताओं से शाखा कार्यालय, राजकोट क्षेत्र से संलग्न सूची अनुसार विभिन्न स्थानों पर गॉठों को पहुँचाने के लिये टू पे/टू बी बिल्ड निविदा मांगी जाती है।

(22) बैंक गारंटेड परिवहनकर्ता वे ही माने जायेंगे जिन्होंने निगम के किसी भी कार्यालय में रूपये 2000000/- की बैंक गारंटी दी हुई है। निविदा फायनल करते समय परिवहनकर्ता को निगम के उस कार्यालय का पत्र व बैंक गारंटी की फोटोप्रति प्रस्तुत करनी होगी और यदि परिवहनकर्ता बैंक अनुमोदित (Bank Approved) है तो इसका प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(23) परिवहनकर्ता अपना कार्यालय, राजकोट में रखने की व्यवस्था करेगा जहॉ उसे डी.ओ. सौंपने की सूचना दी जा सके। निविदा भरने वाले परिवहनकर्ता की 31.03.2019 तक की बैंक गारंटी विधि मान्य (Valid) होनी चाहिये।

(24) बिलों से टी.डी.एस सरचार्ज तत्कालीन नियमानुसार काटा जायेगा।

(25) परिवहनकर्ता अपना PAN तथा GST नंबर अवश्य प्रस्तुत करे एवं यदि सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो वह भी सूचित करे।

(26) परिवहनकर्ता अपने कार्यालय के साथ-साथ आवास का पता एवं टेलीफोन/टैलेक्स/फैक्स नंबर/ई-मेल आयडी/ भी अपनी निविदा में दे। राजकोट से बाहर के वही परिवहनकर्ता निविदा दे सकेंगे जिसका कोई प्रतिनिधि या कोई शाखा राजकोट या राजकोट के नजदीक क्षेत्र में भी कार्य करता हो ताकि उससे तुरंत संपर्क स्थापित किया जा सके तथा जहॉ उसे डी.ओ.सौंपा जा सके।

(27) परिवहनकर्ता द्वारा यदि निर्धारित अवधि में गॉठे नहीं उठाई जाती है तो दोषी होने पर वह कार्य किसी अन्य परिवहनकर्ता से प्रचलित मार्केट दर के अनुसार करवाया जायेगा व उससे निगम को होने वाली क्षतिपूर्ति की वसूली संबंधित मूल परिवहनकर्ता से की जायेगी।

(28) निविदा भरने वाले परिवहनकर्ता द्वारा स्वयंमेव यह माना जायेगा कि उसने निविदा सम्बन्धी सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली है व उनका पालन करने के लिये बाध्य है। परिवहनकर्ता निविदा सम्बन्धी शर्तो पर अपने हस्ताक्षर मय स्टैम्प कर के निविदा फार्म के साथ लौटाये।

(29) किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर निगम द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर (जो कि निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को विवाद के निर्णय हेतु मामला सुपुर्द किया जायेगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा एवं आर्बीट्रेटर, आर्बीट्रेशन व रिकंसीलेशन एक्ट 1996 के प्रोवीजन के अन्तर्गत शासित होगा।

(30) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रकार के लागू या लागू होने वाले टैक्स की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

(31) कार्य की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम दर वाले परिवहनकर्ता की दरों पर कार्य अन्य परिवहनकर्ताओं को देने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

(32) कर में छूट (Tax Exemption) का सर्टिफिकेट परिवहनकर्ता को इस निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा तथा उसकी वैधता भी स्पष्ट अंकित होना चाहिये।

(33) यदि एक ही लॉट की गॉठे दो अलग-अलग तिथियों में पहुँचती है तो बाद में पहुँची गॉठों की तिथि ही पूरे लॉट के लिये मानी जायेगी ।

(34) परिवहनकर्ता के प्रत्येक बिल में से 10% राशि की कटौती की जायेगी तथा संपूर्ण कार्य निष्पादन के पश्चात काटी गई 10% राशि परिवहनकर्ता को वापिस की जायेगी।

(35) निगम को पूरा अधिकार होगा कि वह अपने विवेकाधिकार से एक या अधिक परिवहनकर्ता को अनुबंधित करे।

(36) गॉठे कांट्रेक्ट अनुसार तथा लॉट अनुसार उठाई जायेगा तथा एक लॉट की गॉठों को दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जाये तथा परिवहनकर्ता इस प्रकार से गॉठे भेजें जिसमें दोनों भाग अनिवार्य रूप से गंतव्य स्थान पर साथ-साथ पहुँचे।

(37) गॉठे उठाते समय परिवहनकर्ता को अपनी कंपनी के लैटरहैड पर गॉठे सही स्थिति में ली गई है, ऐसा प्रमाण-पत्र लिखकर देना होगा।

(38) जिन परिवाहकों की दर निगम द्वारा स्वीकृत होती है उन्हें 100/- रूपये के स्टॉम्प पेपर पर परिवहन अनुबंध करना होगा और अपने अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम सूचित करना होगा। परिवाहक को कार्य का आबंटन उनके द्वारा परिवहन अनुबंध होने के बाद ही किया जायेगा।

(39) निविदा में L-1 की गणना दरों के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिए अलग से की जाएगी। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में परिवहन कार्य अधिक होने की दशा में एक से अधिक परिवहनकर्ता को अनुपातिक कार्य भी दिया जा सकता है। जिस परिवाहक की संबंधित गंतव्य स्थान हेतु न्यूनतम दर प्राप्त होती है, को L-1 माना जायेगा तथा उसे परिवहन कार्य का 60% कार्य आबंटित किया जायेगा तथा शेष 40% कार्य L-2 को दिया जायेगा बशर्ते वह L-1 द्वारा दी गई दरों पर कार्य करने हेतु तैयार हो। यदि L-2 परिवाहक L-1 द्वारा दी गई दरों पर कार्य करने को इच्छुक नहीं है तो समस्त कार्य L-1 को ही आबंटित किया जायेगा।

(40) परिवहन हेतु GST E-Way Bill बनाने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी l यदि GST E-Way Bill बनाने में लापरवाही के कारण निगम को GST act & provisions के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हानि/ देनदारी उत्पन्न होती है तो उसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जाएगी l

(41) परिवहनकर्ता को शाखा कार्यालय से डी.ओ.जारी होने के पश्चात 48 घंटों में ट्रक की व्यवस्था कर गॉठों को उठाना होगा।

(42) परिवहनकर्ता को जारी डी.ओ.के सामने प्रति दिन केन्द्र/गोदाम से उठाई जाने वाली गॉठों का विवरण शाखा कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(43) निगम न्यूनतम कार्य देने के लिए बाध्य नहीं है | परिवहनकर्ता को निगम का उपलब्ध कार्य सुचारु रूप से करना होगा |

(44) तकनीकी बिड-I में सफल हुए परिवहनकर्ताओं की ही वित्तीय बिड- II खोली जायेगी।

(45) गाँठो कि निकासी डी.ओ. प्राप्ति की दिनांक से 2 दिन के अन्दर संबन्धित केन्द्र से करवाकर निम्नानुसार गंतव्य स्थान पर पहुँचानी होगीं ,अन्यथा 2 रुपये प्रति गांठ प्रति दिन की पैनाल्टी ट्रांसपोर्टर के बिल से काटी जायेगी।

गंतव्य स्थान	डी.ओ.की तारीख से 1000 गाँठो तक	डी.ओ.की तारीख से 1000 गाँठो से अधिक
महाराष्ट्र	अधिकतम 06 दिन	अधिकतम 08 दिन
गुजरात	अधिकतम 04 दिन	अधिकतम 05 दिन
अन्य स्थान	अधिकतम 10 दिन	अधिकतम 12 दिन

(46) एक ट्रक में सामान्यत: एक ही लॉट की जायेगी। यदि संभव न हो तो दो लॉट से ज्यादा एक ट्रक में मिक्स नहीं की जायेगी। यदि दो से अधिक लॉटस की गाँठे मिक्स पायी गयी तो 20/- रुपये प्रति गांठ के हिसाब से दण्ड लगेगा।

(47) एन.टी.सी.के लिए परिवहन भाड़े का भुगतान एन.टी.सी. मिल के कार्यालय में पूरे ब्यौरो के साथ बिल की प्राप्ति पर मिल द्वारा किया जाएगा

<u>निर्यात की गई गाँठो के संदर्भ में :</u>

प्रत्येक बिल से 5% कटौती की जायेगी जिसका भुगतान निर्यात हेतु भेजी गयी सभी गाँठो की प्राप्ति की सूचना उपरान्त किया जायेगा। टू बी बिल्ड परिवहन भाड़े का भुगतान कार्यालय में पूरे ब्यौरे के साथ बिल की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के अन्दर या बिल की किसी विसंगति की स्थिति में बिल के परिशोधन की तारीख से 15 दिन के अन्दर किया जाएगा।

(48) अगर आवश्यक हो तो गाँठो के डिस्पैच के तुरन्त बाद परिवहन द्वारा संबंधित पार्टी को मार्गस्थ बीमा (ट्रांज़िट इंश्योरेंस) कवर करने के लिए फैक्स/ई-मेल भेजा जायेगा।

(49) 1 जून, 2015 के बाद किसी भी परिवहनकर्ता के पास 10 तक गुडस केरिअर है तो उससे TDS की कटौती नहीं की जायेगी जिसके लिए परिवहनकर्ता को इस निविदा के साथ संलग्न किए गए प्रारूप को स्वयं के लेटर हैड पर लिखकर देना अनिवार्य है। अगर 10 से उपर गुडस केरिअर है तो उससे TDS की कटौती की जायेगी। यदि संलग्न प्रारूप में नहीं देते है तो भी TDS की कटौती की जायेगी। यदि आपके द्वारा डिक्लेरेशन प्रारूप में देने पर भी किसी भी प्रकार की आयकर विभाग से वसूली आती हैं तो परिवहनकर्ता की बिल की राशि से कटौती की जायेगी।

मैंने निगम के सभी नियम एवं शर्ते ध्यान से पढ़ ली है तथा मै/हम इन नियमों एवं शर्तो के अन्तर्गत कार्य करने के लिये तैयार एवं बाध्य हैं।

परिवहनकर्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
रबर स्टेम्प के साथ

दिनांक ----------

स्थान :- ……..

(To be given on the printed letter head of the transporter)

To,

The Branch Manager,
The Cotton Corporation of India Ltd,
_____
_____

Subject : Authority letter for negotiation/finalization of Transportation rates for period 04.02.2019 to 31.03.2019.

Sir,

We hereby authorize Shri _____(Name) _____ (Designation) of behalf of M/s _____ for negotiation and finalization of transportation rates for period **04.02.2019 to 31.03.2019** .

Further, We submit that we are a sole proprietor/partnership/limited company and we have full authority to authorize Shri _____ as our representative whose specimen signature is given herein below :-

_____
(Specimen signature)

We agree to all terms and conditions of the Tender.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Signature of the Authorized Signatory)
Name & Designation : _____
Name of the Firm : _____
Seal of the Firm :_____

पार्टी के लेटर हैड पर होना आवश्यक है ।

Declaration under Section 194 C (6) for Non-deduction of Tax at Source

To,
M/S. The Cotton Corporation of India Ltd.
Rajkot

Declaration

I,Mr._____(Proprietor / Partner/ Director of) M/S._____(Address) (hereinafter the contractor) do hereby make the following declaration as required by sub section (6) of Section 194C of the income Tax Act, 1961 for receiving payment from the payer without deduction of tax at source.

1. That I/WE am/are authorized to make this declaration in the capacity as proprietor/partner/Director.

2. That the contractor is engaged by the payer for playing, hiring or leasing of goods carriage for its business.

3. That the contractor does not own more than goods carriage as on date.

4. That if the number of goods carriages owned by the contractor exceeds ten at any time during the period 2017-18(01.11.2017 to 31.10.2018), the contractor shall forthwith, in writing intimate the payer of this fact.

5. That the Income Tax Permanent Account Number (PAN) of the contractor is _____, A photocopy of the same is furnished to the payer along with this declaration.

6. The contractor hereby gives an undertaking to submit duly prescribed from of declaration as notified by the Income tax department.

Place :_____
Dated : _____ **Declarant**

VERIFICATION

I the above named declarant do hereby verify that the contents of paragraphs one to six above are true to my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

Place :_____
Dated :_____

Name of the Declarant and Signature